# ORDER-SHEET

## *The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal*

***Case No. L00-38/2017***

| *Date of order of proceeding* | *Order of proceeding with Signature of presiding officer*<br><br>अध्यक्ष, धाकड़ समाज धर्मशाला, उज्जैन | *Signature of parties or pleaders where necessary* |
|---|---|---|
| ***02.02.2018*** | दिनांक 02.02.2018 को सुनवाई में आवेदक की ओर से श्री एम.डी. गोयल, सलाहकार उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री एस.के. जैन, कार्यपालन यंत्री, उज्जैन उपस्थित हुए।<br><br>2 दिनांक 12.1.2018 को सुनवाई के दौरान अनावेदक को निम्न जानकारी दिनांक 22.1.2018 में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया –<br><br>अ चैक मीटर लगाने के पश्चात मीटर में दर्ज खपत का विवरण।<br><br>ब आवेदक के परिसर में लगे हुए दोनों मैकेनिकल मीटर के स्थान पर लगाये गये इलेक्ट्रॉनिक मीटर की डिस्पोजल स्लिप एवं उनके द्वारा दर्ज खपत दिसंबर 2017 तक का विवरण।<br><br>स चैक मीटर द्वारा दर्ज खपत के आधार पर अंतर की खपत की बिलिंग की राशि की डिमाण्ड कब की गई तथा उसका भुगतान आवेदक द्वारा कब किया गया।<br><br>द उपरोक्तानुसार अंतर की राशि पर सरचार्ज की राशि का विवरण।<br><br>च आवेदक द्वारा किस–किस न्यायालय में कब–कब प्रकरण दर्ज किये गये तथा न्यायालय से क्या राहत मागी गई तथा न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्णयों का विवरण।<br><br>3 दिनांक 22.1.2018 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें तर्क के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके यहां दो कनेक्शन क्रमशः क्र. 9820241 एवं 722017 स्थापित हैं। इन दोनों कनेक्शनों को क्लब कर दिया गया था तथा एक कनेक्शन में दूसरे वाले कनेक्शन की भी खपत दर्ज होती रही। वर्ष 2012 से 2015 तक कनेक्शन नम्बर 9820241 की एक्सट्रा बिलिंग की गई जिसका समायोजन उनके अगले बिलों में देने हेतु अनुरोध किया गया। इस संबंध में फोरम के आदेश का अवलोकन किया जिसमें ऐसी कोई रियायत हेतु आवेदक द्वारा फोरम में अपील नहीं की गई थी तथा फोरम द्वारा भी इस बिन्दु पर कोई निर्णय पारित नहीं किया। | |

4 अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक के परिसर में इन दोनों कनेक्शनों के अलावा एक तीसरा भी कनेक्शन स्थापित था। जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में उपरोक्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किया।

5 प्रकरण में दिये गये तर्क एवं चर्चा अनुसार बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 2.2.2018 की तिथि नियत की गई।

6 दिनांक 2.2.2018 को सुनवाई पुनः प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक की ओर से श्री एम.डी. गोयल, सलाहकार उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री एस.के. जैन, कार्यपालन यंत्री उपस्थित हुए।

7 अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान यह स्वीकार किया गया कि आवेदक के दोनों कनेक्शनों को क्लब करने के पश्चात कनेक्शन नं. 9820241 में वर्ष 2012 से वर्ष 2015 तक की अवधि में औसत बिलिंग की गई जबकि परिसर में स्थापित मीटर के साथ सीटी का रेसो 2 होने पर जो बिलिंग कम की गई थी। उसके विरूद्ध पूरक बिल उक्त खपत भी शामिल थी। अतः वर्ष 2012 से 2015 तक की अवधि में की गई औसत बिलिंग 4457 यूनिट के समतुल्य राशि का समायोजन आवेदक को आगामी मासिक बिलों में दे दिया जाएगा।

8 अनावेदक द्वारा दिनांक 22.1.2018 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर में नवंबर 2015 से दिसंबर 2017 तक की अवधि को दिये गये दोनों विद्युत कनेक्शनों की अलग अलग बिल देने के कारण हायर टैरिफ का नुकसान हुआ है जिसे वसूल करने का अधिकार है। इस संबंध में अनावेदक को निर्देशित किया गया कि चूंकि दोनों कनेक्शनों को क्लब करने के पश्चात अनावश्यक रूप से आवेदक को औसत बिल दिया जाता रहा जिसके बारे में उनके द्वारा आपत्ति लेने पर मीटर लगाकर उस कनेक्शन को नियमित किया गया, इस प्रकार एक ही परिसर में दूसरा कनेक्शन अनावेदक द्वारा दिया गया। अतः उन्हें दोनों मीटर की खपत को जोड़कर उच्च स्लेब की टैरिफ से बिल किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

9 अतः उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण का निराकृत कर नस्तीबद्ध किया जाता है। अनावेदक उपरोक्तानुसार परिपालन रिपोर्ट से 15 दिवस में अवगत कराये।

10 उभय पक्षों को सूचना जारी कर फोरम के अभिलेख वापिस हों।

**विद्युत लोकपाल**